न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०...... 683/2023

सरकार बनाम मोनूपाल

अंतर्गत धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–620/2022

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त मोनूपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 11.07.2023 को समय करीब 12.55 बजे स्थान रेगूलेटर से एन एच 58, रेगूलेटर से करीब 500 मीटर आगे चकरोड़ पर अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर गाजियाबाद में आपकी निशानदेही पर एक अदद पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिन्हें रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। जिसके सम्बंध में आपके द्वारा यह कथन किया गया कि यह वही पिस्टल है, जिससे आपके द्वारा दिनांक 19–09–2022 को अपने भाई सोनूपाल के साथ मिलकर अपने पिता सतेन्द्रपाल की गोली मारकर हत्या की थी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि आयुध अधिनियम की धारा–3/25/27 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांकः23.02.2024

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांकः23.02.2024

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.02.27 10:10:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court